**न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ़।**
**सत्र परीक्षण संख्या**–२८५/२०१४
राज्य बनाम गुलशन यादव व ३ अन्य
मु०अ०सं०–२७०/२०१०,
धारा–३२३/३४,२८६/३४,५०४,
५०६ भा०दं०सं०,
थाना–कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

**दिनांक–२०.०७.२०२३**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण अनुपस्थित।

न्यायालय में नियुक्त कोर्ट मोहर्रिर कॉ० अखिलेश राय द्वारा न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गयी कि अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य से विरत रहने तथा सभी गेटों में तालाबन्दी करने के कारण आज दिनांक–२०.०७.२०२३ को प्रकरण के अभियुक्त छबिनाथ यादव को जिला कारागार कौशाम्बी से लाया गया था किन्तु अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस वाहन को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिस कारण उसे भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय प्रतापगढ़ द्वारा प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी की आख्या के अनुक्रम में अपने पत्र आर.आर.संख्या–३८४ दिनांकित–२०.०७.२०२३ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि–

''O/C Administration/ADJ–I is directed to look into all matters as well as monitor the entire situation for proper administration of justice."

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में चार अभियुक्तगण **(१) गुलशन यादव, (२) राम धन यादव, (३) मेवा लाल यादव व (४) छविनाथ यादव** का विचारण चल रहा है, जिनमें से अभियुक्तगण (१) गुलशन यादव, (२) राम धन यादव, (३) मेवा लाल यादव द्वारा विगत तिथियों में हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त छविनाथ यादव के अभिरक्षा में होने के कारण उसे कौशाम्बी से पेश किया जाना था, किन्तु अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य में सहयोग न करने एवं न्यायालय परिसर के गेटों पर तालाबन्दी के कारण आज न तो अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए न ही किसी अभियुक्त की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त छबिनाथ यादव को जिला कारागार कौशाम्बी से लाया गया था किन्तु अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस वाहन को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिस कारण उसे भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उपरोक्त परिस्थितियॉ यह इंगित करती हैं कि जिला प्रशासन वादकारियों एवं न्यायालय परिसर की सुरक्षा करने में असहाय हो रहा है और सुरक्षा की कमी के कारण न कैदी वाहन न्यायालय परिसर में प्रवेश कर पा रहा है और न ही कोई वादकारी नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि जिला मुख्यालय के अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारियों/गवर्निंग बाडी को एक नोटिस इस आशय की प्रेषित की जाए कि क्यों न उनके द्वारा न्यायालय परिसर में तालाबंदी एवं न्यायिक कार्य बाधित करने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु मामला माननीय उच्च न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया जाए।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर की सुरक्षा एवं न्यायालय में प्रवेश करने वाले वादकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करावें तथा अधिवक्ताओं को वादकारियों के न्यायालय परिसर में प्रवेश करने में अवरोध उत्पन्न करने से रोके तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरूस्त करें और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पुलिस बल/पी०ए०सी० की भी तैनाती करें।

जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा एवं न्यायिक कार्य सुचारू रूप से सम्पादन के सम्बंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करें।

आदेश की एक–एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, अध्यक्ष एवं महामंत्री, जिला बार एसोसियेशन, अध्यक्ष/महामंत्री, वकील परिषद एवं अध्यक्ष एवं महामंत्री, जूनियर बार एसोसियेशन (पुरातन) को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

आदेश की एक प्रति माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय को सादर अवलोकनार्थ, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ के माध्यम से प्रेषित की जाए।

आदेश की एक प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय प्रतापगढ़ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जाए।

कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम दिनांक–०१.०८.२०२३ को पेश हो।

दिनांकः २०.०७.२०२३

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ़।

Digitally signed by NAND PRATAP OJHA
Date: 2023.07.20 18:39:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court